न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 27/2017

अनवान :

1. कानाराम पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. विजेन्द्र सिह पुत्र बलवान सिह जाति जाट निवासी सरदापुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत
धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : वकील श्री सुरेन्द्र बेनीवाल – प्रार्थी
पेरोकार राज – अप्रार्थी

आदेश **दिनांक : 12.9.18**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 296/299 के मु.न. 179 के किला नं. 20, 21, मु.न. 180 के किला नं. 7, 14 से 17, 24/1 व 25 मु.न. 187 के किला नं. 5, मु.न. 188 के किला नं. 1, 10, 11 की कुल 2.6190 हैक्टर कृषि भूमि है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के कुल खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहबन लिपिकीय भूल से कानाराम की जगह कानसिह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक रिकार्ड में व प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र समस्त राजकीय रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कानाराम दर्ज है।

प्रार्थी का वास्तव में ही कानाराम है। जिसे प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी पेरोकार राज ने अपना जवाब व अप्रार्थी सं. 2 ने अपना शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल आधार कार्ड, पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2008 की अंक तालिका, राशन कार्ड आदि पेश की।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मोजा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 296/299 की कुल 2.6190 हैक्टर बारानी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कानसिह की बजाय कानाराम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने जो आधार कार्ड, पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2008 की अंक तालिका, राशन कार्ड प्रतियां पेश की है उनमें प्रार्थीगण नाम कानाराम अंकित है एवं अप्रार्थी पेरोकार राज ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 296/299 की कुल 2.6190 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम कानसिह की जगह कानाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में विजेन्द्रसिह, कानाराम पि0 बलवानसिह कौम जाट साकिन सरदारपुरा बास भोला दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

आदेश आज दिनांक 12.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (मुहर)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ